खारीज
21.8.2024

फर्द अहकाम

2024/118

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

दीपाराम बनाम मनिषकुमार

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 76 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
14.05. 2024	प्रार्थी दीपाराम की तरफ से वकील श्री रामनिवास शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी आराजी जरई रोही मौजा लूणासर के ख.नं. 198 की 1.897 है. भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें व रहन बैय करने से निषेद्ध रहें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 18.06.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी [illegible]	
18.6.2024	[illegible] उपस्थित/PO [illegible] अवकाश में [illegible]। पत्रावली स्थगित [illegible] तारीख दिनांक 21.8.2024 को पेश हो। [illegible]	
21.8.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते है। अत: प्रार्थना पत्र 212 अस्थाई निषेधाज्ञा मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	Note books deleted

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:39:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner